

(2) ग्राम परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी सड़कों, गलियों, जलमार्ग (नहर) पुल और पुलिया पर ग्राम परिषद का नियन्त्रण होगा जो निजी सम्पत्ति नहीं है अथवा कुछ समय के लिए सम्पत्ति सरकार के नियन्त्रणाधीन है और इनके सुधार, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सरकार आवश्यक कार्य करेगी विशेषकर —

(क) नवशा तैयार करना और नई सड़क बनाना;

(ख) और नए पुल और पुलिया का निर्माण।

ग्राम परिषद को 29. प्रशासक ग्राम परिषद को किसी कार्य के निष्पादन, रख-रखाव अथवा मरम्मत संस्थान का कार्य सौंप सकता है।
कार्य अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की ओर से किसी संस्थान के प्रबन्धन हस्थानान्तरण

बशर्ते कि ऐसे प्रयोजन के लिए ग्राम परिषद को निधि सरकार अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा।

भू राजस्व का 30. (1) ऐसे शर्तों के अधीन जैसा निर्धारित किया गया है, प्रशासक ग्राम परिषद की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके भू राजस्व और भू राजस्व का बकाया एकत्रित करने का कार्य ग्राम परिषद को सौंपेंगे।

(2) जहाँ उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद को कार्य या ड्यूटी सौंपा जाता है, प्रशासक ऐसे ग्राम परिषद को जैसा वह निर्धारित करता है, संग्रह किया दर सौंपेंगा।

ग्राम स्वयं सेवक 31. (1) इस विनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन ग्राम परिषद गाँव में रहने वाले योग्य पुरुष जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो तथा जो इस दल में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, को शामिल करते हुए एक स्वयं सेवक दल का गठन करेंगे और उचित व्यक्ति को इसका नेतृत्व दिया जाएगा।

(2) ग्राम स्वयं सेवक दल की सेवा का उपयोग आम पहरेदारी के लिए और आपातकाल जैसे आग लगने, बाढ़, महामारी के फैलने अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान किया जाएगा।

(3) इस बल के किसी सदस्य को ड्यूटी निभाते हुए होने वाली किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

अनुबंध 32. ग्राम परिषद का प्रत्येक अनुबंध अथवा करार लिखित में होगा और इसे फर्स्ट कैप्टन, सचिव और ग्राम परिषद का एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना होगा तथा ग्राम परिषद के मुहर से मुहरबद करना होगा।

अध्याय — V वित्त, सम्पत्ति और लेखा

ग्राम परिषद निधि 33. (1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय के लिए एक ग्राम परिषद निधि होगी और इसका उपयोग इस विनियम के अन्तर्गत ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम परिषद पर अधिरोपित ड्यूटी और दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित को जमा किया जाएगा और यह ग्राम परिषद निधि का भाग बनेगा, अर्थात् —

(क) धारा 36 के अन्तर्गत अधिरोपित किसी कर अथवा शुल्क से प्राप्ति;

(ख) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अंशदान;

(ग) किसी भी प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित धन राशि ग्राम परिषद निधि में जमा किया जाएगा;

(घ) ग्राम परिषद निधि से निवेशित सुरक्षाओं से प्राप्त आय;

(ङ) भू राजस्व अथवा अन्य सरकारी देय राशि से एकत्रित शेयर;